न्यायालय, उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

एस0ए0आर0 अपील वाद सं0–06 / 2016–17

अनिल नवरंगी
बनाम
(तलेस्फोर नवरंगी मृत)
इमिलिया डुंगडुंग वगैरह

आदेश

अपीलार्थी अनिल नवरंगी वल्द स्व0 मिखाएल नवरंगी, सा0– फरसाबेड़ा थाना + जिला – सिमडेगा ने अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा द्वारा SAR वाद सं0–04 / 2014–15 में दिनांक 08.08.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध में यह अपील दायर किया है।

वादगत् भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है :–

ग्राम	थाना	थाना नं0	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा
फरसाबेडा	सिमडेगा	77	52	370	0.46 एकड़
				371	0.27 एकड़
				374	0.31 एकड
			कुल :–	03	1.04 एकड़

अपील Admission करने के बाद उभय पक्ष को नोटिस दिया गया एवं कारण–पृक्षा दाखिल करने का आदेश दिया गया।

उत्तरवादी कई तिथियो तक अनुपस्थित रहे। दिनांक 23.02.2017 को अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आवेदन देकर सूचित किया है कि इस अपीलवाद के उत्तरवादी तेलेस्फोर डुंगडुंग की मृत्यु हो चुकी है इसलिए स्व0 तेलेस्फोर डुंगडुंग के एकमात्र पुत्र उम्र (03 वर्ष) अरमान डुंगडुंग (नावालिग) को एवं उनकी माता एवं संरक्षिका इमिलिया डुंगडुंग को उत्तरवादी के रूप में पक्षकार बनाया जाय। आवेदन के आधार पर नोटिस निर्गत किया गया।

दिनांक 28.06.2018 को उत्तरवादी इमिलिया डुंगडुंग के अधिवक्ता ने आवेदन दिया है कि वाद की संपति स्व0 तेलेस्फोर डुंगडुंग की पैत्रिक संपति है एवं इस संपति पर उनके 03 अन्य भाई 1. संदीप डुंगडुंग, 2. अन्तोनी डुंगडुग, 3. फिलिपि डुंगडुंग तथा उनकी मॉ मेरी तेरेसा डुंगडुंग पति – स्व0 मरियानुस डुंगडुंग का भी हक दखल एवं अधिकार है इसलिए न्यायहित में इस वाद में उन्हें भी पक्षकार बनाया जाय।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में मुख्य रूप से निम्न बात न्यायालय के समक्ष रखी गई :–

वादगत् भूमि गत् रिविजनल सर्वे में फैनूएल नवरंगी एवं सैमूएल नवरंगी के नाम से बाकास्त दर्ज है तथा दोनो ही भूमि के खेवटदार है। अपीलार्थी अनिल नवरंगी भूमि के एक खेवटदार सैमूएल नवरंगी के पौत्र है।

अपीलार्थी अनिल नवरंगी द्वारा अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा के न्यायालय में CNT Act की धारा 71A के तहत् वादगत् भूमि वापसी का मुकदमा दायर किया था, जो निम्न न्यायालय में SAR वाद सं0–04/2014–15 के रूप में दर्ज हुआ तथा दिनांक 08.08.2016 को अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया गया। निम्न न्यायालय द्वारा ना तो आदेश की तिथि निर्धारित की गई थी और ना ही आदेश की सूचना अपीलार्थी या उनके अधिवक्ता को दी गई थी। अपीलार्थी को आदेश की जानकारी दिनांक 08.11.2016 को हुई तथा दिनांक 21.11.2016 को आदेश की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त हुई।

निम्न न्यायालय के आदेश से आहत होकर अपीलार्थी द्वारा भवदीय न्यायालय में SAR अपील दायर किया गया है। अपील का आधार निम्नवत् है :–

निम्न न्यायालय का आदेश मामले के तथ्य एवं परिस्थिति के प्रतिकूल है। निम्न न्यायालय द्वारा पूर्व में SAR वाद सं0–77/1973 में पारित आदेश को आधार मानते हुए रेस जुडिकाटा के सिद्धांत के आधार पर अपील आवेदन को खारिज किया गया है।

पूर्व में दायर SAR वाद सं0–77/1973 का अपीलार्थी विलियम नवरंगी था जो अपने को एक खेवटदार फैनूएल नवरंगी के पुत्र होने का दावा करता है। वास्तव में विलियम नवरंगी के नाम का कोई पुत्र खेवटदार फैनूएल नवरंगी का नही था। साथ ही उस मामलें में खेवटदार द्वय फैनूएल नवरंगी एवं सैमूएल नवरंगी के किसी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलार्थी को SAR वाद सं0–77/1973 की जानकारी पहली बार तब हुई जब प्रतिवादी द्वारा निम्न न्यायालय में जबाब दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय को खेवटदार की वंशावली के जांचोपरान्त ही SAR वाद सं0–77/1973 में पारित आदेश को आधार बनाते हुए रेस जुडिकाटा के अन्तर्गत आदेश पारित करना था। विपक्षी द्वारा वादगत् भूमि पर अनिबंधित सादा पट्टा के आधार पर दावा किया जा रहा है। जिसे Registration Act की धारा 17 के अन्तर्गत हस्तानान्तरण हेतु वैद्य साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। वास्तव में विक्री पट्टा फर्जी है। जिसे निम्न न्यायालय द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया है।

अंचल अधिकारी, सिमडेगा के प्रतिवेदनानुसार वादगत् भूमि पर किसी प्रकार की संरचना नहीं था। भूमि विशुद्ध रूप से कृषि भूमि है।

विज्ञ अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा को CNT Act की धारा 71 की भावना के अनुसार भू–वापसी का आदेश पारित करना था लेकिन निम्न न्यायालय द्वारा मामलें की गहन जांच के बगैर ही अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

न्यायालय से प्रार्थना है कि अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा SAR वाद सं0–04/2014–15 में पारित आदेश को निरस्त किया जाय, तथा अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए भू–वापसी का आदेश पारित किया जाय।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में मुख्य रूप से निम्न बातें रखी गई :–

फैनूएल नवरंगी एवं सैमूएल नवरंगी पिता – जैती उदय उर्फ बीरजी भीम नवरंगी ग्राम – फरसाबेड़ा के जमीन्दार थें तथा खेवट नं0– 5 के खेवटदार थे दिनांक 23.02.1932 को प्रकाशित खतियान में मौजा – फरसाबेड़ा के खेवट नं0 – 5 के खाता नं0 52 की भूमि का किस्म बकास्त दर्ज है।

फैनूएल नवरंगी एवं सैमूएल नवरंगी द्वारा मौजा फरसाबेडा खाता संख्या 52 के कुल प्लॉट 3 कुल रकबा 1.04 एकड़ भूमि को सादा पट्टा के माध्यम से जुसफ खड़िया वल्द टुईल खड़िया को दिनांक 16.06.1948 को बेच दिया गया। वादगत् भूमि भी इसी विक्री में शामिल है।

जुसफ खड़िया भूमि के क्रय से अपने जीवनकाल तक भूमि पर काबिज रहें। उन लोगों के मृत्यु के पश्चात् विपक्षी (तेलेस्फोर डुंगडुंग मृत) इमिलिया डुंगडुंग वगैरह आज तक भूमि पर बिना किसी बाधा एवं अपीलार्थी की जानकारी में दखलकार है। भूमि के क्रय के पश्चात् जुसफ खड़िया के द्वारा पहले जमीन्दार को एवं जमीन्दारी भेस्ट होने के बाद सरकार को लगान का भुगतान किया जाता रहा है। आज तक उनके नाम से लगान रसीद निर्गत होता है।

विलियम नवरंगी पिता - फैनुएल नवरंगी द्वारा पूर्व में ही वादगत् भूमि के वापसी हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय में उत्तरवादी के दादा जुसफ खड़िया के विरूद्ध CNT Act की धारा 71A के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया था जो को SAR वाद स0–77/1973 के रूप में दर्ज हुआ था। निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.1975 को अपील आवेदन खारिज कर दिया गया। विलियम नवरंगी या उनके वारिसान के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध में कोई अपील दायर नहीं किया गया।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा SAR वाद सं0–04/2014–15 में दिनांक 08.08.2016 को पारित आदेश यथावत् रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाय।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के पत्रांक 488(ii)/विधि दिनांक 18.12.2020 के द्वारा फैनूएल नवरंगी एवं सैमूएल नवरंगी का वंशावली उपलब्ध कराया गया है जिसमें स्पष्ट है कि फैनुएल नवरंगी का एक मात्र पुत्र जोसेफ नवरंगी था। इससे अपीलार्थी के इस, इस कथन की पुष्टि होती है कि निम्न न्यायालय में दायर SAR वाद सं0–77/1973 का अपीलकर्त्ता विलियम नवरंगी खेवटदार फैनुएल नवरंगी का पुत्र नहीं है।

अंचल अधिकारी, सिमडेगा के प्रतिवेदनानुसार वादगत् भूमि का जमाबंदी जुसफ खड़िया, पिता – टुईल खड़िया के नाम से दर्ज है तथा भूमि पर विपक्षी इमिलिया डुंगडुंग पति – स्व0 तेलेस्फोर डुंगडुंग बगैरह का दखल–कब्जा है तथा भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भूमि का अनिबंधित सादा पट्टा के माध्यम से क्रय किया गया है लेकिन विपक्षी का भूमि पर लगातार दखल रहा है। इस बात की पुष्टि अपीलार्थी के पिता के नाम से कायम जमाबन्दी से भी होती है।

अतः Limitation Act एवं Adverse Possession के आधार पर भूमि पर विपक्षी के दावे को सही मानते हुए अपील आवेदन को खारिज करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा SAR वाद सं0–04/2014–15 में पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है।

02.03.21

उपायुक्त,
सिमडेगा।

लेखापित एवं संशोधित

02.03.21

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2021.12.17 13:46:06 +05:30
Location: 192.168.112.67

उपायुक्त,
सिमडेगा।